L-25012(11)/9/2023-LME

National Mission for Clean Ganga
Department of WR, RD&GR
Ministry of Jal Shakti

Major Dhyanchand National Stadium
Near India Gate, New Delhi
Date: 28.02. 2024

Subject: -Status Report in the matter of OA O.A No.102/2023-Neeraj Chhachhar & Anr vs Beliram Ashram & Ors

Sir,

This is with reference to the above matter before the Hon'ble NGT. The status report is attached herewith. The same may kindly be placed before the Hon'ble NGT for consideration.

2. This issues with the approval of the competent authority.

Encl: As above

Your faithfully

Anup Kumar Srivastava
Executive Director (Tech)

To
The Registrar,
Hon'ble National Green Tribunal(PB), Copernicus Marg, New Delhi

Copy for information to:

(1) PPS to the Secretary, DoWR, RD&GR, Ministry of Jal Shakti, Shram Shakti Bhawan, New Delhi.
(2) PS to the DG, NMCG

## NATIONALMISSION FOR CLEAN GANGA

**Status Report in the matter of OA O.A No.102/2023-Neeraj Chhachhar & Anr vs Beliram Ashram & Ors**

**

In the aforesaid matter the issues raised relates to alleged causing of pollution of River Ganga caused due to construction of residential apartments and discharging sewage and other waste directly into the River Ganga.

2. The details of the following apartments had been furnished in the matter.

(i) Nikhil Kumar, Ganges View Apartments Near Harigir Ashram, Kankhal Haridwar Haridwar;

(ii).. NirdoshKushwha,Ganges View Apartments Near Harigir Ashram, Kankhal Haridwar Haridwar;

(iii). Deepak Kushwha,Ganges View Apartments Near Harigir Ashram, Kankhal Haridwar Haridwar;

(iv) Ajay Kushwha,Ganges View Apartments Near Harigir Ashram, Kankhal Haridwar Haridwar;

(v). Rajveer Kumar Ganges View Apartments Near Harigir Ashram, Kankhal Haridwar Haridwar.

3. The National Mission for Clean Ganga(NMCG) vide letter dated 22.02.2024 had sought report from the Project Director SPMG, Uttrakhand and District Magistrate Hardwar.

4. The District Magistrate Hardwar vide letter dated 23.02.2024 has submitted a report before the Hon'ble NGT. An inspection was conducted by team from the Regional Officer Uttrakhand State Pollution Control Board. It is stated that during inspection no construction was going on at the sites. However, it has been stated that there is construction of basement, ground floor and first floor slab (linter work) and was found completed on the site. No person was found staying at construction sites Neither any domestic sewage and solid waste was being discharged in river Ganga. However it is mentioned that below the construction site, a sewer line is passing. There is main hole chamber of 600 m diameter and a gravity sewer line has been laid which is functional.

That from the sewer line about 30% sewage is passing from the already constructed buildings and connected to the 68 MLD STP at Jagjeetpur. To avoid any damage to the sewer line, it has been suggested that it is essential to have enough vacant space available on both side of the sewerage system. The project proponent has valid consent up to 30.09.2024 from the Uttrakhand State PCB.

5. The Report dated 23.02.2024 is attached.

Anup Kumar Srivastava
Executive Director(Tech)

प्रेषक,

अपर जिलाधिकारी–प्रशासन
हरिद्वार।

सेवा में,

रजिस्ट्रार जनरल,
मा0 एन0जी0टी0,
नई दिल्ली।

पत्रांकः 376 / एल0बी0ए0–2024 दिनांकः 23 फरवरी, 2024

विषय– माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा मूल आवेदन संख्या–102 / 2023 नीरज छाछर बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 03.01.2024 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में योजित मूल आवेदन संख्या–102 / 2023 नीरज छाछर बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 03.01.2024 के अनुपालन के संबंध में हैं।

मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.01.2024 में दिये गये निर्देशों का समयबद्ध अनुपालन एवं वांछित रिपोर्ट समयान्तर्गत मा0 एन0जी0टी0 मे दाखिल करने के निर्देश दिये गये हैं। इस संबंध में क्षेत्रीय अधिकारी उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रूडकी के पत्रांक–यूकेपीसीबी / आर0ओ0आर0 / सा0–147(33) / 2024 / 1564 दिनांक 21.02.2024 के द्वारा मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में संयुक्त निरीक्षण आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है। जिसमें अवगत कराया गया है कि निरीक्षण के समय उक्त स्थल पर भवन निर्माण संबंधी कार्य चलता नहीं पाया गया। निरीक्षण के समय स्थल पर बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर एवं प्रथम तल का स्लैप (लिंटर) कार्य पूर्ण पाया गया। भवन निर्माण स्थल पर वर्तमान में कोई निवास नहीं कर रहा है। अतः उक्त स्थल से किसी भी प्रकार का घरेलू उत्प्रवाह एवं ठोस अपशिष्ट गंगा नदी में निस्तारित नहीं होता पाया गया। उक्त स्थल हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति प्राप्त की गयी है, जिसकी वैधता दिनांक 30.09.2024 तक है।

निर्माणाधीन स्थल बेलीराम आश्रम के समीप है, परियोजना स्थल पर निरीक्षण के समय बेसमेंट, प्रथम तल जिसमें मुख्य सडक की दिशा में 14 दुकानें निर्मित की गयी है, जिनमें से 06 दुकानों में शटर लगाये गये है। एवं द्वितीय तल का स्लैब का कार्य पूर्ण पाया गया। अधिशासी अभियन्ता, हरिद्वार–रूडकी विकास प्राधिकरण की आख्या दिनांक 19.02.2024 में स्पष्ट किया गया है कि स्थल पर स्वीकृत मानचित्र से भिन्न निर्माण किये जाने पर स्वीकृति से भिन्न निर्माण की प्राधिकरण द्वारा दिनांक 01.11.2023 को सील किया गया है। अग्रेत्तर गंगा नदी पर स्थल की दूरी पर सिंचाई विभोंग के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त भू–खण्ड बाढ, परिक्षेत्र अधिनियम–2012 के अन्तर्गत इस खण्ड द्वारा चिन्हित् की गयी 100 वर्षीय बाढ आवरती लाईन से बाहर लगभग–130 मी0 की दूरी पर स्थित है तथा गंगा नदी के बाढ परिक्षेत्र में नही आ रही है। निरीक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि निर्माणाधीन परियोजना पर बेसमेंट के नीचे से सीवर लाईन गुजर रही है, जिसके बाबत जल संस्थान के अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि निर्माणाधीन परियोजना के हाउसिंग कॉमपलैक्स के बेसमेंट में मेंन हाल चैम्बर स्थित स्थल पर 600 एम0एम0 डाया की विभागीय ग्रेविटी सीवर लाईन बिछी हुई है जो कि सुचारू रूप से कार्य कर रही है। उक्त सीवर लाईन के माध्यम से हरिद्वार नगर का लगभग 30 प्रतिशत सीवेज पूर्व से निर्मित भवनों के नीचे से होकर 68 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 जगजीतपुर तक पहुंचता है। भविष्य में यदि सीवर लाईन क्षतिग्रस्त होती है तो सीवर लाईन के दोनो तरफ पर्याप्त खाली स्थान होना आवश्यक है।

अतः समिति की संयुक्त स्थलीय निरीक्षण आख्या सादर प्रेषित हैं।

**संलग्न–यथोक्त।**

भवदीय,

(पी0एल0 शाह)
अपर जिलाधिकारी–प्र0
हरिद्वार।
23/02/24

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सदस्य सचिव मुख्यालय उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गौरा देवी पर्यावरण भवन 46 बी, आई0टी0 पार्क सहस्त्रधारा रोड देहरादून।

2– जिलाधिकारी महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

3– Shri. Rahul Verma Advocate (L.L.M.) Supreme Court Of India Additional Advocate General State Of Uttarakhand/Respondent 137, Tower No. 10, Supreme Enclave, Mayur Vihar Phase-1, Delhi-110091 Mobile No. 9717706032

अपर जिलाधिकारी–प्र0
हरिद्वार।

क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
सिंचाई परिकल्प भवन परिसर, रूड़की -247667 हरिद्वार

पत्रांकः- यूकेपीसीबी/आर0ओ0आर0/सा0-147(33)/2024/1564 दिनांकः 21.02.2024
ई-मेल/पंजीकृत डाक द्वारा कोर्ट मैटर/एन0जी0टी0 मैटर

सेवा में,
अपर जिलाधिकारी (प्र0) महोदय,
जिला- हरिद्वार।

विषयः-मा0 नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा मूल आवेदन सं0- 102/2023 नीरज छाछर बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 03.01.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्रांक सं0- 109/एल0बी0ए0-2024 दिनांक 15.01.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करना चाहेंगे, जिसमें अधोहस्ताक्षरी को मूल आवेदन सं0- 102/2023 नीरज छाछर बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 03.01.2024 में वांछित रिपोर्ट तैयार कर मा0 एन0जी0टी0 में दाखिल किये जाने के निर्देश दिये गये है।

अग्रेतर अवगत होना चाहें कि बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक सं0- यू0ई0पी0पी0सी0बी0/एच0ओ0/सा0-183/2016/8611-1584 दिनांक 21.01.2016, जो समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड को भी प्रेषित् है। **(छायाप्रति संलग्न)। में अवगत कराया गया था, कि "बोर्ड एक Regulatory Autonomous body है, जो केन्द्र सरकार के जल अधिनियम/वायु अधिनियम के अन्तर्गत गठित है। मा0 न्यायालयों में विभिन्न प्रकरणों में पैरवी हेतु बोर्ड के स्वंय के अधिवक्ता है, जिनके माध्यम से बोर्ड का स्वंय का प्रति शपथ पत्र मा0 न्यायालयों में दाखिल किया जाता है। जबकि शासन/प्रशासन के प्रतिवादी होने की दशा में शासन/प्रशासन का प्रति शपथ पत्र पृथक से दाखिल किया जाना होता है।"**

विदित है, कि प्रकरण पर बोर्ड मुख्यालय के पत्र दिनांक 09.01.2024 के अनुक्रम में उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से मा0 एन0जी0टी0 में रिपोर्ट प्रेषित् किये जाने हेतु क्षेत्रीय कार्यालय, रूड़की द्वारा स्थलीय निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय प्रेषित् कर दी गयी है। **(संलग्नक-01)**। उक्त प्रकरण पर बोर्ड मुख्यालय द्वारा मा0 एन0जी0टी0 में अलग से रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी। उक्त प्रकरण पर नगर मजिस्ट्रेट, हरिद्वार के पत्र दिनांक 08.02.2024 के द्वारा क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रूड़की को प्रकरण से सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों से आख्या संकलित करने हेतु निर्देशित् किया गया था। जिसके अनुक्रम में आख्या संकलित कर दिनांक 21.02.2024 को नगर मजिस्ट्रेट को संयुक्त निरीक्षण आख्या प्रेषित् की गयी। **(संलग्नक-02)**।

मा0 एन0जी0टी0 के पारित आदेश दिनांक 03.01.2024 में उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से किसी भी प्रकार की कार्यवाही हेतु आदेश पारित नही है। अतः मा0 एन0जी0टी0 आदेशानुसार कार्यवाही बोर्ड स्तर से अपेक्षित नही है।

**संलग्नकः-यथोपरि।**

भवदीय,
21.02.2024
(एस0 पी0 सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः-

1. **सदस्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,** गौरादेवी पर्यावरण भवन, 46बी, आई0टी0 पार्क, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित्।
2. **जिलाधिकारी महोदय, जिला-हरिद्वार** को सादर सूचनार्थ प्रेषित्।

क्षेत्रीय अधिकारी

**मा0 एन0जी0टी0 में मूल आवेदन सं0- 102/2023 नीरज छाछर एवं अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में संयुक्त निरीक्षण आख्याः-**

उपरोक्त विषयक मा0 एन0जी0टी0 में योजित प्रकरण के सन्दर्भ में जिलाधिकारी महोदय के आदेश सं0-109/एल0बी0ए0- 2024 दिनांक 15.01.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में सचिव हरिद्वार- रुड़की विकास प्राधिकरण, नगर मजिस्ट्रेट हरिद्वार, क्षेत्रीय अधिकारी उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रुड़की,, अधिक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता सिंचाई खण्ड हरिद्वार एवं अवर अभियंता जल संस्थान, हरिद्वार की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 01.02.2024 को संयुक्त निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के समय उक्त स्थल पर भवन निर्माण सम्बन्धी कार्य चलता नही पाया गया। निरीक्षण के समय स्थल पर बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर एवं प्रथम तल का स्लैप (लिंटर) कार्य पूर्ण पाया गया। भवन निर्माण स्थल पर वर्तमान में कोई निवास नही कर रहा है। अतः उक्त स्थल से किसी भी प्रकार का घरेलू उत्प्रवाह एवं ठोस अपशिष्ट गंगा नदी में निस्तारित नही होता पाया गया। उक्त स्थल हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति प्राप्त की गयी है,जिसकी वैधता दिनांक 30.09.2024 तक है।

निर्माणाधीन स्थल बेलीराम आश्रम के समीप है, परियोजना स्थल पर निरीक्षण के समय बेसमेंट, प्रथम तल जिसमें मुख्य सड़क की दिशा में 14 दुकानें निर्मित की गयी हैं, जिनमें से 06 दुकानों में शटर लगाये गये हैं। एवं द्वितीय तल का स्लैब का कार्य पूर्ण पाया गया। अधिशासी अभियंता, हरिद्वार- रुड़की विकास प्राधिकरण की आख्या दिनांक 19.02.2024 में स्पष्ट किया गया है कि स्थल पर स्वीकृत मानचित्र से भिन्न निर्माण किये जाने पर स्वीकृति से भिन्न निर्माण की प्राधिकरण द्वारा दिनांक 01.11.2023 को सील किया गया है। अग्रेतर गंगा नदी पर स्थल की दूरी पर सिचाई विभाग के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया है, कि उक्त भू-खण्ड बाड़ परिक्षेत्र अधिनियम- 2012 के अन्तर्गत इस खण्ड द्वारा चिन्हित् की गयी 100 वर्षीय बाड़ आवरती लाईन से बाहर लगभग- 130 मी0 की दूरी पर स्थित है तथा गंगा नदी के बाड़ परिक्षेत्र में नही आ रही है। निरीक्षण के दौरान यह भी पाया गया-कि निमार्णाधीन परियोजना पर बेसमेंट के नीचे से सीवर लाईन गुजर रही है, जिसके बाबत जल संस्थान के अधिशासी अभियंता द्वारा अवगत कराया गया है, कि निर्माणाधीन परियोजना के हाउसिंग कॉमपलैक्स के बेसमेंट में मेंन हाल चैम्बर स्थित स्थल पर 600 एम0एम0 डाया की विभागीय ग्रेविटी सीवर लाईन बिछी हुई है जो कि सुचारू रूप से कार्य कर रही है। उक्त सीवर लाईन के माध्यम से हरिद्वार नगर का लगभग 30 प्रतिशत् सीवेज पूर्व से निर्मित भवनों के नीचे से होकर 68 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 जगजीतपुर तक पहुंचता है। भविष्य में यदि सीवर लाईन क्षतिग्रस्त होती है तो सीवर लाईन के दोनों तरफ पयाप्त खाली स्थान होना आवश्यक है।

अतः संयुक्त निरीक्षण आख्या अवलोकनार्थ एवं अग्रेतर कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित् है।

| | | |
|---|---|---|
| (अधिशासी अभियंता) | For (अधिशासी अभियंता) | 23/02/2024 (क्षेत्रीय अधिकारी) |
| **जल संस्थान, हरिद्वार।** | **सिंचाई खण्ड, हरिद्वार।** | **उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रुड़की।** |

(सचिव) 21.02.24
**हरिद्वार- रुड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार।**

छाया प्रति संलग्न

# मुख्यालय
## उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
## 29/20, नेमी रोड, डालनवाला, देहरादून-248001

पत्रांक-यू.ई.पी.पी.सी.बी..एच.ओ..सा0-1७३/2016 3611-1524 दिनांक २१.01.2016

पंजीकृत डाक द्वारा

3981
27/1/16

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

विषय :- विभिन्न न्यायालयों में विचारित वादों में प्रति शपथ पत्र दाखिल किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है, कि माननीय न्यायालयों में कतिपय ऐसे वाद दायर हो रहे हैं, जो प्रदूषण से सम्बंधित है एव जिनमें राज्य सरकार, जिलाधिकारी एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी प्रतिवादी बनाया जाता है। अधिकांशतः ऐसे प्रकरणों में जिला प्रशासन द्वारा स्वयं के प्रति शपथ पत्र दाखिल किये जाने हेतु बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी को निर्देशित किया जाता है।

इस सम्बन्ध में आप अवगत होवें कि बोर्ड एक regulatory autonomous body है, जो केन्द्र सरकार के जल अधिनियम वायु अधिनियम के अन्तर्गत गठित है। माननीय न्यायालयों में विभिन्न प्रकरणों में पैरवी हेतु बोर्ड के स्वयं के अधिवक्ता है, जिनके माध्यम से बोर्ड का स्वयं का प्रति शपथ पत्र मा0 न्यायालयों में दाखिल किया जाता है। जबकि शासन.प्रशासन के प्रतिवादी होने की दशा में शासन.प्रशासन का प्रति शपथ पत्र पृथक से दाखिल किया जाना होता है।

अतः उपरोक्त प्रकार के प्रकरणों में प्रशासन का प्रति शपथ पत्र दाखिल किये जाने हेतु बोर्ड कार्मिकों के बजाय अन्य शासकीय अधिकारियों को ही नामित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(विनोद सिंघल)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि :-

1. अध्यक्ष, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0), उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रुड़की, काशीपुर, देहरादून, हल्द्वानी को उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सदस्य सचिव
21/1/16

मुख्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
"गौरा देवी पर्यावरण भवन"
46बी, आई.टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून
E-mail : msukpcb@yahoo.com, दूरभाष : 0135-2607092

पत्रांक : यूकेपीसीबी / एच.ओ. / सा0–183–669 / 2024 / 1238,

दिनांक 09/01.2024
एन0जी0टी0 मैटर

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
क्षेत्रीय कार्यालय,
सिंचाई परिकल्प भवन परिसर, रूड़की।

147(33)

विषय:– मा0 एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन सं0–102 / 2023 **Neeraj Chhachhar & Anr. Vs. Beliram Ashram & Ors** के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.01.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। मा0 एन0जी0टी0 द्वारा प्रकरण में सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रतिवादी बनाया गया है एवं प्रत्युत्तर दाखिल किया जाना है। मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश की छायाप्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया विषयगत प्रकरण में निरीक्षण कर स्थापनार्थ सहमति / संचालनार्थ सहमति की स्थिति सहित निरीक्षण आख्या अद्यतन स्थिति सहित इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें। प्रकरण पर अगली सुनवाई दिनांक 01.03.2024 को नियत है।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय

(डा0 राजेन्द्र सिंह) 09.01.2024
वैज्ञानिक अधिकारी

SA/O/O
Pl put up with file
15/1/2024

3240
12/01/24

15/01/24

सं0-1/2

क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
सिंचाई परिकल्प भवन परिसर, रूड़की -247667 हरिद्वार

पत्रांक-यूकेपीसीबी/आर0ओ0आर0/सा0- 147(33)/2024/1560 दिनांकः 21.02.2024

पंजीकृत डाक द्वारा

सेवा में,

डा0 राजेन्द्र सिंह
वैज्ञानिक अधिकारी,
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
देहरादून।

विषयः- मा0 एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन सं0- 102/2023 **Neeraj Chhachhar & Anr. Vs. Beliram Ashram & Ors** के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक सं0- यूकेपीसीबी/एच0ओ0/ सा0-183-669/2024/1238 दिनांक 07.01.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करना चाहें। उक्त के अनुपालन में दिनांक 19.02.2024 को क्षेत्रीय कार्यालय रूड़की द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया।

उपरोक्तानुसार निरीक्षण कर आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित की जा रही है।

भवदीय,

21.02.2024

(एस0 पी0 सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी

Y3

## निरीक्षण आख्या

**मा0 एन0जी0टी0 में मूल आवेदन सं0– 102/2023 नीरज छाछर एवं अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में निरीक्षण आख्याः-**

उपरोक्त विषयक मा0 एन0जी0टी0 में योजित प्रकरण के सन्दर्भ में दिनांक 19.02.2024 को क्षेत्रीय कार्यालय, रुड़की, द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि आनन्दमयी आश्रम पुल के पास बेलीराम आश्रम के समीप भवन निर्माण सम्बन्धित कार्य पाया गया। निरीक्षण के समय उक्त स्थल पर भवन निर्माण सम्बन्धी कार्य चलता नही पाया गया। निरीक्षण के समय स्थल पर बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर एवं प्रथम तल का स्लैप (लिंटर) कार्य पूर्ण पाया गया। भवन निर्माण स्थल पर वर्तमान में कोई निवास नही कर रहा है। अतः उक्त स्थल से किसी भी प्रकार का घरेलू उत्प्रवाह एवं ठोस अपशिष्ट गंगा नदी में निस्तारित नही होता पाया गया। उक्त स्थल हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति प्राप्त की गयी है,जिसकी वैधता दिनांक 30.09.2024 तक है। **(संलग्नक–01)।**

निर्माणाधीन स्थल बेलीराम आश्रम के समीप है, परियोजना स्थल पर निरीक्षण के समय बेसमेंट, प्रथम तल जिसमें मुख्य सड़क की दिशा में 14 दुकानें निर्मित की गयी हैं, जिनमें से 06 दुकानों में शटर लगाये गये हैं। एवं द्वितीय तल का स्लैब का कार्य पूर्ण पाया गया। हरिद्वार- रुड़की विकास प्राधिकरण के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि दुकानों को प्राधिकरण द्वारा सील किया गया है। अग्रेतर गंगा नदी पर स्थल की दूरी पर सिचाई विभाग के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया है, कि उक्त भू-खण्ड बाढ़ परिक्षेत्र अधिनियम- 2012 के अन्तर्गत इस खण्ड द्वारा चिन्हित् की गयी 100 वर्षीय बाढ़ आवरती लाईन से बाहर लगभग- 130 मी0 की दूरी पर स्थित है तथा गंगा नदी के बाढ़ परिक्षेत्र में नही आ रही है। निरीक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि निमार्णाधीन परियोजना पर बेसमेंट के नीचे से सीवर लाईन गुजर रही है, जिसके बाबत जल संस्थान के अधिशासी अभियंता द्वारा अवगत कराया गया है, कि निर्माणाधीन परियोजना के हाउसिंग कॉमपलैक्स के बेसमेंट में मेंन हाल चैम्बर स्थित स्थल पर 600 एम0एम0 डाया की विभागीय ग्रेविटी सीवर लाईन बिछी हुई है जो कि सुचारू रूप से कार्य कर रही है। उक्त सीवर लाईन के माध्यम से हरिद्वार नगर का लगभग 30 प्रतिशत् सीवेज पूर्व से निर्मित भवनों के नीचे से होकर 68 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 जगजीतपुर तक पहुंचता है। भविष्य में यदि सीवर लाईन क्षतिग्रस्त होती है तो सीवर लाईन के दोनों तरफ पयाप्त खाली स्थान होना आवश्यक है।

अतः निरीक्षण आख्या अवलोकनार्थ एवं अग्रेतर कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित् है।

(डा0 अजीत सिंह)
**सहा0 वैज्ञा0 अधिकारी**

**क्षेत्रीय अधिकारी**

MS

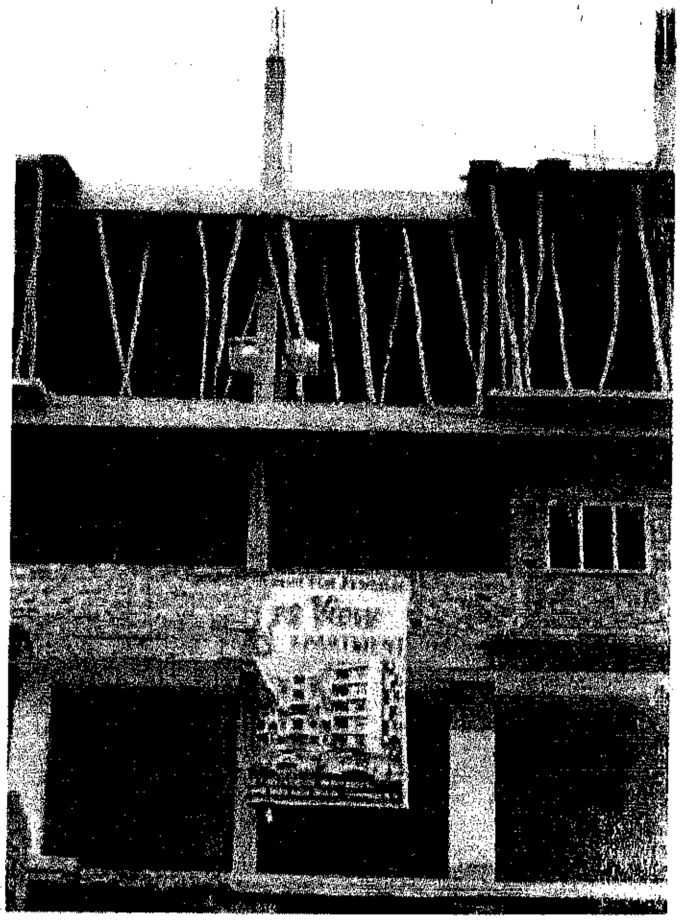

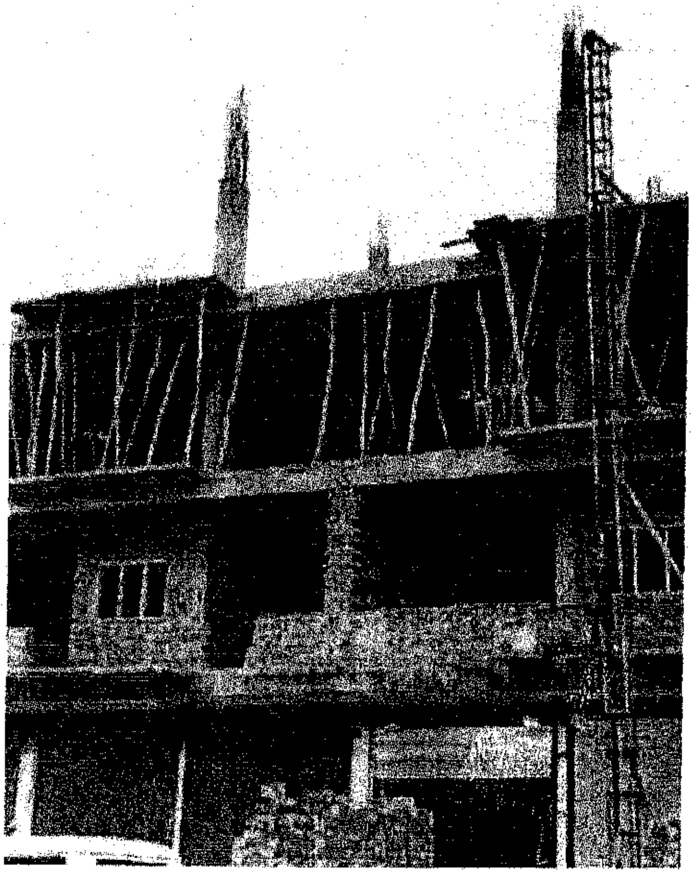

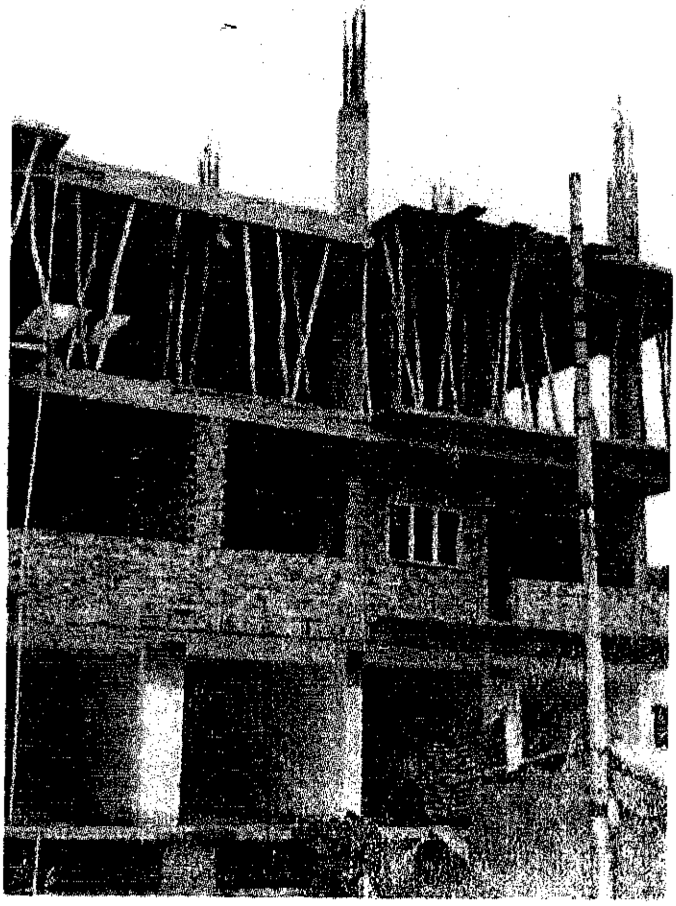

UEPPCB

**REGIONAL OFFICE**
UTTARAKHAND POLLUTION CONTROL BOARD
Irrigation Design Building Campus, Roorkee-247667 (Distt- Haridwar)

UKPCB/ROR/CCA/N-127/2023/335

Date: 8.06.2023

**REGD. POST**

To,

**M/s Nikhil Kumar Nirdosh Kushwha**
**Deepak Kushwha Ajay Kushwha Rajeev Kumar**
**Ganges View Appartment, Khasra No-212, Near Harigir**
**Ashram Kankhal, Haridwar**
**Distt- Haridwar.**

**Consolidated Consent to Operate and Authorisation hereinafter referred to as the CCA (Consolidated Consent & authorization) (Renewal) under Section-25 of the "Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974" and under Section-21 of the "Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981" and Authorization under "Rule-6(2) of the "Hazardous and other Waste (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016" notified under "Environment (Protection) Act, 1986" as applicable** (to be referred hereinafter as **Water Act, Air Act and HW Rules** respectively).

| Caff ID-11511 | Application No. 678215 |
|---|---|
| CCA (Fresh) | |
| Consent No. AWH N-32 | |

CCA is hereby granted to **M/s Nikhil Kumar Nirdosh Kushwha Deepak Kushwha Ajay Kushwha Rajeev Kumar** at located **Ganges View Appartment, Khasra No-212 Near Harigir Ashram Kankhal, Haridwar, Distt-Haridwar** subject to the provisions of the Water Act, Air Act and the orders that may be made further and subject to following terms and conditions :-

1. This CCA is **granted** up to **30.09.2024** and valid for Housing Society (Commercial/Residential & Flats) of following with **Capital Investment / Net Assets Values 483.0 Lakhs**:-

| S. No. | Last CCA | Present CCA (Fresh) | |
|---|---|---|---|
| | Operation of | Operation of | |
| 1 | *Not obtained* | **Total Plot Area** | **3233.02 Sqm. built-up Area . (24 Flats & Shops)** |

2. **Specific Conditions under Water Act:**

(i) **The daily quantity of effluent discharge (KLD) -**

| | Last CCA | Present CCA (Fresh) |
|---|---|---|
| Trade Effluent | Nil | Nil |
| Sewage | - | 10 |

**Effluent Treatment and Disposal:** Presently Sewage is to be disposed through Sewer Line. Unit shall provide oil & Grease trap prior to disposal of sewage in sewer line. However, as per Hon'ble NGT order dated 19-07-2016 under O.A. 200/2014, Hotel having capacity of more than 20 rooms and or has built-up area more than 10000 Sqft are required to establish and operate their own bio digester and/or STP. Matter has been referred to the Monitoring Committee constituted by the Hon'ble NGT. The unit shall comply with the decision taken by the Committee. Following discharge standards as specified under E (P) Rules are applicable:

| S. No | Parameter | Hotels with at least 20 Rooms | Hotel with less than 20 Rooms | Hotels discharging sewage to sewer line |
|---|---|---|---|---|
| 1 | pH | 5.5 to 9.0 | 5.5 to 9.0 | 5.5 to 9.0 |
| 2 | BOD | 30mg/L | 100mg/L | 350 mg/L |

UEPPCB

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 100 mg/l | 600 mg/l |
| 3 | TSS | 50 mg/l | | |
| 4 | Oil & Grease | 10 mg/l | | |
| 5 | Phosphate (as P) | 1.0 mg/l | | |
| 6 | Fecal coliform | 1000 MPN/1000ml | 1000 MPN/1000ml | |

Norms are subject to change time to time

3. Conditions under Air Act :-

(i) The applicant shall use following fuel and install a comprehensive control system consisting of control equipment as is required with reference to generation of emissions and operate and maintain the same continuously so as to achieve the level of pollutants to the following standards

| S. No | Stack attached with | Stack height (Mt) | Type of Fuel | Fuel Quantity KLD/ MTD | Emission Control Equipment | Emission standards not to exceed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | | | | | | |

*In of stoppage of functioning of air pollution control equipment, production has to be **stopped immediately** and this **Board** has to be intimated by fax phone email with a report in this regard to be dispatched immediately*

(ii) Noise from the D.G. Set and other source(s) should be controlled by providing an acoustic enclosure as is required for meeting the ambient noise standards for night and day time as prescribed for respective areas zones (Industrial, Commercial, Residential, Silence) which are as follows :-

| Standards for Noise level in db(A) Leq | Industrial Area | | Commercial Area | | Residential Area | | Silence Zone | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Day time | Night time | Day time | Night time | Day time | Night time | Day time | Night time |
| | 75 | 70 | 65 | 55 | 55 | 45 | 50 | 40 |

Day time : from 6.00 a.m. to 10.00 p.m., Night time from 10.00 p.m. to 6.00 a.m.

4. Conditions under HW Rules :-

(i) Number of authorization and date of issue ---------------------------------

(ii) The **Housing Society of M/s Nikhil Kumar Nirdosh Kushwha Deepak Kushwha Ajay Kushwha Rajeev Kumar** is hereby granted an authorization to operate a facility for collection and storage of Hazardous wastes.

(iii) The authorization is granted to operate a facility for generation, collection and storage of hazardous wastes within factory premises for following category of wastes

| S.No. | Category (Schedule-I & Schedule-II) | Quantity of Waste for which authorization is being issued (MTA) | Mode of Disposal |
|---|---|---|---|
| 1 | | | |

(iv) The authorization shall be in force for **30.09.2024**

(v) The authorization is subject to the conditions stated below and the such conditions as may be specified in the rules for the time being in force under Environment (Protection) Act, 1986.

**Terms and conditions of Consent:**

(i) The authorization shall comply with the provisions of the **Environment (Protection) Act**, 1986, and the rules made thereunder.

(ii) The authorization and its renewal shall be produced for inspection at the request of an officer authorized by the SPCB/PCC.

(iii) The person authorized shall not rent, lend, sell, transfer or otherwise transport the hazardous wastes without obtaining prior permission of the SPCB/PCC

(iv) Any unauthorized changes in personnel, equipment as working conditions as mentioned in the application by the person authorized shall constitute a breach of his authorization.

(xv) It is the duty of the authorized person to take prior permission of the SPCB/PCC to close down the facility

(xvi) An application for the renewal of an authorization shall be made as laid down under these rules

(xvii) The unit shall comply with any other conditions specified in the guidelines issued by the MoEF or CPCB/SPCB from time to time

6. **Compulsory documents to be submitted by the Industry/Unit :-**
   (i) Annual return in **Form-4** and **Waste Disposal Manifest** in **Form-10** under **HW Rules** and **Third Party Audit Report**.
   (ii) Environment Statement in **Form-V** of **Environment (Protection) Rules, 1986**
   (iii) Quarterly **compliance report of the CCA, photograph of ETP/APCs/Waste Storage Area**

7. Unit has to apply for renewal of CCA well in advance of 60 days of expiry of this CCA.
8. Competent Authority reserves the right to change/modify/add any time any condition of this CCA
9. Unit has to comply with the other general conditions as annexed herewith. Non compliance of any provision of this CCA and provisions of the **Water Act, Air Act and HW Rules** will results in legal action under the aforesaid **Acts and Rules**.

**Regional Officer (I/c)**

Copy to: **Member Secretary, Uttarakhand Pollution Control Board, Dehradun** for kind information please

**Regional Officer (I/c)**

**Specific Conditions:**

1. The applicant shall submit audited balance sheet of the unit at the end of each financial year so that fee submitted by the applicant could be assessed
2. A solid waste generated from the Housing Society has to be disposed in manner so that contamination of surface water bodies ground water/soil etc. does not take place
3. The **Unit** shall take adequate measures to control of noise from its own source so as to comply with the standards as may be applicable.
4. The Housing Society shall develop green belt within the premises.
5. **Unit will ensure that its kitchen waste/agro waste (biodegradable waste) will be disposed through composting.**
6. The Housing Society shall strictly adhere with the specific and general conditions issued with CCA order. Any violation of stipulated conditions may attract legal action under the provisions of **Water Act, Air Act** and **Environment (Protection) Act and Rules** made thereunder.
7. The **Unit** shall ensure **all safety measures** and shall undertake **periodical assessment** by the competent authority
8. **This consent is valid for Operation of Building & construction project only. If any change in Housing Society unit, must be obtained CTE/COP as per rule.**
9. **The solid waste shall be disposed as per Solid Waste Management Rule-2016.**
10. **The waste water generated from the Housing Society should be treated and disposed as per norms applicable.**
11. **The time to time direction issued by Hon'ble Court, MoEF CC, State Government, CPCB, SPCB will be applicable on the Housing Society.**
12. **Land use of the Housing Society should be proper and valid as per the activity. In case any time if it is found that the Housing Society is not having the valid documents this consent may be revoked.**
13. **In case of any complaint received against Housing Society and found correct, this CCA order may be revoked.**
14. **The consent is valid under the final decision of the Hon'ble NGT in matter of OA No. 102/2023 Neeraj Chhachar Vs. State of Uttarakhand**
15. **Unit has to submitted approved map for HRDA within a month.**

**General Conditions:**

The applicant shall get analyses the samples of effluent emission hazardous wastes at least once in a three month from the laboratory recognized by the MoEF and shall report to the UEPPCB
The applicant shall however, not without the prior consent of the **Board** bring into use any new or altered outlet for the discharge of effluent or gases emission of sewage waste from the unit
Treated waste water and domestic waste water shall be disposed jointly at one disposal point. The applicant shall provide discharge measurement equipment at final disposal point
The applicant shall strictly comply with conditions of this CCA and submit compliance report of stipulated conditions within 30 days of receipt of this CCA. If, at any point of time, it is found that the industry is not complying with stipulated conditions or any further direction instruction issued by the **Board**, legal action shall be initiated against the applicant
5. The applicant shall maintain good house keeping. All valves pipes sewer/drains etc. must be leak-proof
6. The industry shall provide uninterrupted entry to the STP's/ETP's inlet and outlet points, Air Pollution Control equipment and stack for smooth sampling monitoring of efficiency of pollution control measures
7. The industry shall provide "Inspection Book" at the time of inspection to the Board's officials
8. Whenever due to any accident or other unforeseen act or event, such emission occurs or is apprehended to occur in excess of standards laid down, such information shall be reported to the Board's offices and all other concerned offices. In case of failure of pollution control equipment, the production process connected to it shall be stopped with immediate effect
9. The industry shall operate in a manner so that all emissions be emitted through designated chimney stack only
10. In case of any damage to the agriculture productivity, human habitation etc. by the operation of industry, it shall be imperative to stop production in the industry with immediate effect and such information shall be reported to Board's offices. The industry shall be liable to pay compensation also in such cases as decided by the Competent Authority
11. The applicant shall apply before the 60 days of expiry of CCA or any change in production types, production capacity manufacturing process capacity enhancement etc. or any change in effluent discharge point or emission point
12. The **Board** reserves the right to revoke add modify any stipulated condition issued along with CCA, as may be necessary
13. The person authorized shall not rent, lend, sell, transfer or otherwise transport the hazardous waste without obtaining prior permission of the **Board.**
14. Any unauthorized change in personnel, equipment as working condition as mentioned in the application by the person authorized shall constitute a breach of his authorization.
15. It is the duty of the authorized person to take prior permission of the **Board** to close down the facility.
16. The authorization is valid for temporary storage of Hazardous Waste within premises only
17. The authorized agency shall ensure that on-line data with regard to quantity and nature of hazardous chemicals being used in the plant as well as air emission and waste generated within premises is displayed on **Display Board of size 6x4 feet** out side the main factory gate within premises.
18. It is duty of the **authorized person** to take prior permission of this Board to close and cleanup the facility for treatment, storage and disposal of hazardous waste
19. The applicant shall maintain record of hazardous waste in **Form-3** and shall submit annual return in **Form-4** on or before the 30th day of June following to the financial year to which that return relates
20. In case of any accident, complete details in the light of **Form-14** of the Hazardous Rules shall be submitted to this Board at the earliest.
21. In no case any hazardous waste shall be disposed off on land, in any drain, or into any water stream. All spillage must also be safely collected and stored
22. Before the hazardous waste is stored or dumped in the facility, applicant must conduct a detailed **physical and chemical analysis of hazardous waste sample** and report to the **Board.**
23. Dried hazardous sludge from the process in the plant shall be **stored in double lined HDPE pit constructed with R.C.C. or such material which does not react with the waste contained in it.**
24. The storage area should be fenced properly and Sign/Notice Board indicating 'Danger' and **'Hazardous'** shall be displayed at appropriate position both in Hindi and English.
25. The industry shall store non-ferrous metal waste, used oil/spent oil waste in sealed drums placed on impervious floor under covered shed. Hazardous waste if required shall be **sold only to Registered Recyclers/Re-processors.**
26. In case of any transportation of hazardous waste, the details in **Form-10** of the **Hazardous Rules** shall be submitted to the **Board.**

**Regional Officer (I/c)**

सलग्नक-22

1717 (33)

एन0जी0टी0 प्रकरण / महत्वपूर्ण

कार्यालय नगर मजिस्ट्रेट, हरिद्वार।

दिनांकः– 08 फरवरी, 2024

पत्रांकः–143 / न0मजि0ह0 / 2024

विषय– मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारामूल आवेदन संख्या–102 / 2023 नीरज छाछर बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 03.01.2024 के अनुपालन के संबंध में।

क्षेत्रीय अधिकारी,
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
रूड़की।

कृपया उपर्युक्त विषयक कार्यालय जिलाधिकारी, हरिद्वार के पत्रांक–109 / एल0बी0ए0–2024 दिनांक 15 जनवरी, 2024, जो अन्य साथ–साथ आपको भी सम्बोधित है, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा मूल आवेदन संख्या–102 / 2023 नीरज छाछर बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 03.01.2024 के अनुसार वाछित आख्या दाखिल किये जाने हेतु आपको निर्देशित किया गया है। प्रश्नगत प्रकरण में आगामी सुनवाई की तिथि 01.03.2023 नियत हैं।

अतः आप प्रकरण से सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों से आख्या संकलित कर अनुपालन आख्या मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में तत्काल दाखिल करने का कष्ट करें तथा कृत कार्यवाही से इस कार्यालय के साथ–साथ अपर जिलाधिकारी(प्र0) महोदय, हरिद्वार को अवगत कराने का कष्ट करें।

8.2.24

(कुश्म चौहान)
नगर मजिस्ट्रेट,
हरिद्वार।

3477
12/02/2024

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सचिव, हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकारण, हरिद्वार।
2– अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), हरिद्वार।
3 अधीक्षण / अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, हरिद्वार।
4– अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान, हरिद्वार।

नगर मजिस्ट्रेट,
हरिद्वार।

क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
सिंचाई परिकल्प भवन परिसर, रूड़की -247667 हरिद्वार

पत्रांक-यूकेपीसीबी/आर0ओ0आर0/सा0-147(33)/2024/1553 दिनांकः 21.02.2024

पंजीकृत डाक द्वारा

सेवा में,

नगर मजिस्ट्रेट,
जिला- हरिद्वार।

विषयः- मा0 नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा मूल आवेदन सं0- 102/2023 नीरज छाछर बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 03.01.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा मूल आवेदन सं0- 102/2023 नीरज छाछर बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 03.01.2024 के अनुपालन में दिनांक 01.02.2024 को बेलीराम आश्रम के निकट स्थित स्थल का संयुक्त निरीक्षण किया गया।

अतः संयुक्त जांच समिति की स्थलीय निरीक्षण आख्या संलग्न कर आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित् की जा रही है।

संलग्नकः- यथोपरि।

भवदीय,

21/02/2024

(एस0 पी0 सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी

नगर मजिस्ट्रेट महोदया

## जांच रिपोर्ट

कृ0 पत्रांक 182/अह0न0म0/2024 दिनांक 16.02.2024 द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के मूल आवेदन संख्या 102/2023 नीरज छाछर बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 03.01.2024 के अनुपालन में आज दिनांक 19.02.2024 को उक्त संबंधित बैठक आप द्वारा आहूत की गयी थी। उक्त बैठक में आप द्वारा स्थल की वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट तत्काल उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

इस संबंध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत अनाधिकृत निर्माण ओ0टी0एस0 के अन्तर्गत प्रस्तुत ऑनलाईन शमन आवेदन संख्या HRDA/NC/OTS/0111/21-22 के अन्तर्गत दिनांक 05.09.2023 को स्वीकृत हुआ है। विपक्षी द्वारा उपरोक्त स्वीकृत मानचित्र से भिन्न स्थल पर निर्माण किये जाने के कारण सील आदेश पत्र संख्या 3640 दिनांक 01.11.2023 पारित किये गये तथा सील कार्यवाही हेतु तिथि 01.11.2023 नियत की गयी। नियत तिथि में स्थल पर किये जा रहे निर्माण के विरूद्व कार्य रोकने हेतु सम्पूर्ण/स्वीकृति से भिन्न निर्माण को दिनांक 01.11.2023 को सील किया गया। वर्तमान में स्थल पर निर्माण की यथास्थिति है।

अतः आदेशार्थ प्रस्तुत।

19/02/2024
J.E.

19.02.24

[illegible]
सहायक अभियन्ता-चतुर्थ,
सिंचाई खण्ड, हरिद्वार।

पत्रांक - /स0अ0च0/ दिनांक- [illegible]

विषय - गंगा नदी के किनारे से निर्माण की दूरी के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट किये जाने के सम्बन्ध में।

सहायक अभियन्ता-प्रथम, सिंचाई खण्ड, हरिद्वार।

उपर्युक्त विषयक शिकायतकर्ता [illegible] के शिकायती पत्र दिनांक 10.12.2021 के सम्बन्ध में गंगा नदी से 200 मीटर की परिधि में आता है अथवा नहीं तथा वर्तमान में इस सम्बन्ध में लागू शासनादेश की अपेक्षा की गयी है।

उक्त के सम्बन्ध में पूर्व में इस कार्यालय के पत्रांक-112/सि0ख0ह0/स0अ0च0/12.05.2022 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा अवगत करा दिया गया है। यह भी अवगतनीय है कि इस खण्ड द्वारा चिन्हित बाढ़ आप्लावित लाईन से ही किसी भू-खण्ड की स्थिति दर्शायी जाती है।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

सहायक अभियन्ता-चतुर्थ
सिंचाई खण्ड, हरिद्वार।

पत्रांक - /स0अ0-च0/तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित -
1. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, हरिद्वार।
2. उपराजस्व अधिकारी, सिंचाई खण्ड हरिद्वार।

सहायक अभियन्ता-चतुर्थ
सिंचाई खण्ड, हरिद्वार।

प्रेषक,

सहायक अभियन्ता प्रथम
सिंचाई खण्ड, हरिद्वार।

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी,
उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
रूड़की।

पत्रांक – 531 /स0अ0प्र0/ दिनांक [illegible]/02/2024

विषय – गंगा नदी के किनारे से निर्माण की दूरी के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सहायक अभियन्ता-चतुर्थ, सिंचाई खण्ड हरिद्वार के पत्रांक-19/स0अ0च0/19.02.2024 की रिपोर्ट के आधार पर शिकायतकर्ता श्री [illegible] की शिकायती पत्र दिनांक 10.12.2021 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि इस खण्ड द्वारा चिन्हित बाढ़ आकृति लाईन से ही किसी भू-खण्ड की स्थिति दर्शायी जाती है। इस सम्बन्ध में सहायक अभियन्ता चतुर्थ सिंचाई खण्ड हरिद्वार के पत्रांक-117/स0अ0च0/13.06.2022 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा भी पूर्व में अवगत कराया गया था।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

सहायक अभियन्ता प्रथम
सिंचाई खण्ड हरिद्वार।

पत्रांक – /स0अ0-प्र0/तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित –

1. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, हरिद्वार।
2. उपराजस्व अधिकारी, सिंचाई खण्ड हरिद्वार।

सहायक अभियन्ता-प्रथम
सिंचाई खण्ड, हरिद्वार।

[illegible]

[illegible] 2022

[illegible]

भवदीय,

[illegible]
सिंचाई खण्ड, हरिद्वार।

[illegible]

[illegible]
सिंचाई खण्ड, हरिद्वार।

E Mail- eegangaujs@gmail.com

कार्यालय, अधिशासी अभियन्ता, अनुरक्षण शाखा(गंगा)
उत्तराखण्ड जल संस्थान, जगजीतपुर, हरिद्वार।

सेवा में,

क्षेत्रिय अधिकारी,
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
सिंचाई परिकल्प भवन परिसर, रूड़की–247667।

पत्रांक– 2111 / एन0जी0टी0 / 2023–24 दिनांक– 07/02/2024

विषय– मा0 नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा मूल आवेदन सं0–102/2023 नीरज छाछर बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 03–01–2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय

उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय पत्रांक 1484/यूकेपीसीबी/आर.ओ.आर./सा–147(33)/2024, दिनांक 03–02–2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करेंगे। उक्त के कम में अवगत कराना है कि स्वामी हरिगिरी आश्रम की दीवार से जुड़ती हुयी निर्माणाधीन Housing Complex के Basement में मेनहोल चैम्बर स्थित स्थल में 800 एम0एम0 डाया की विभागीय [illegible] सीवर लाईन बिछी हुयी है, जो कि सुचारू रूप से कार्य कर रही है। उक्त सीवर लाईन के माध्यम से हरिद्वार नगर का लगभग 30 प्रतिशत सीवेज पूर्व से निर्मित भवनों के नीचे से होकर 68 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 जगजीतपुर तक पहुँचता है। भविष्य में यदि सीवर लाईन क्षतिग्रस्त होती है तो सीवर लाईन के दोनों तरफ [illegible] खाली स्थान होना आवश्यक है।

अतः आख्या सादर सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय
(राकेश कुमार)
अधिशासी अभियन्ता,

3482
12/02/2024

1880/0
14/02/2024

**MOST URENT /COURT MATTER**

F.No**L-25012(11)/9/2023-LME**
National Mission for Clean Ganga
Department of Water Resources, River Development
& Ganga Rejuvenation
Ministry of Jal Shakti

Major Dhyanchand National Stadium,
Near India Gate, New Delhi-110002
Dated: 22.02.2023

Subject: OA No 102/2023----Neeraj Chhachhar & Anr vs Beliram Ashram & Ors -before the Hon'ble NGT

Sir,

In the aforesaid matter the application, has raised the issue of pollution of River Ganga caused due to construction of residential apartments allegedly discharging sewage, dumping construction and other waste directly into the River Ganga.

2. The details of the following apartments had been furnished in the matter

(i) Nikhil Kumar, Ganges View Apartments Near Harigir Ashram, Kankhal Haridwar Haridwar;

(ii).. NirdoshKushwha,Ganges View Apartments Near Harigir Ashram, Kankhal Haridwar Haridwar;

(iii). Deepak Kushwha,Ganges View Apartments Near Harigir Ashram, Kankhal Haridwar Haridwar;

(iv) Ajay Kushwha,Ganges View Apartments Near Harigir Ashram, Kankhal Haridwar Haridwar;

(v). Rajveer Kumar Ganges View Apartments Near Harigir Ashram, Kankhal Haridwar Haridwar.

Therefore, in view of the urgency involved, a report in the matter be arranged to be furnished before the next date of hearing fixed on 01.03.2024

3 This issues with the approval of the competent authority.

Encl: as above

Yours faithfully

Anup Srivastava
Executive Director(Tech)

To

1.The Project Director, SPMG Uttrakhand (Dehradun)